छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित

विपणन संघ

खरीफ विपणन वर्ष 2011–12,2012–13, 2013–14 का वर्गीकृत धान विक्रय हेतु विक्रय ई– निविदा प्रपत्र

(निविदा प्रपत्र का मूल्य रू. 2000/– समस्त कर सहित)

880, सिविल–लाईन्स, मुख्यालय–रायपुर (छ0ग0)
दूरभाष नंबर : 0771–2445611 फैक्स नंबर : 2426396

छ0ग0राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या0,
880, सिविल–लाईन्स, मुख्यालय, रायपुर

खरीफ विपणन वर्ष 2011–12,2012–13, 2013–14 का वर्गीकृत धान विक्रय हेतु विक्रय ई–निविदा

छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर, मुंगेली, जांजगीर–चांपा, दुर्ग, बेमेतरा, बालोद, राजनांदगांव, बलौदाबाजार–भांटापारा, महासमुंद, रायपुर गरियाबंद एवं जशपुर, जिले के विभिन्न संग्रहण केंद्रों में वर्ष 2011–12,2012–13 एवं 2013–14 का वर्गीकृत धान का विक्रय (मानव उपयोग हेतु नहीं) हेतु इच्छुक पंजीकृत अनुज्ञप्ति धारी पशुआहार/कुक्कुट आहार/इंण्डस्ट्रीयल यूज/मैन्योर श्रेणी के निर्माता फर्मो आदि से ''जहां है जैसा है'' आधार पर निविदा आमंत्रित की जाती है।

1	निविदाकार का नाम एवं पता, दूरभाष, नंबर/मोबाईल नंबर	श्री मेसर्स..... ....
2	पंजीकृत अनुज्ञप्ति धारी फर्म, पशुआहार/कुक्कुट आहार/**इंण्डस्ट्रीयल यूज/मैन्योर** श्रेणी के निर्माता फर्म का अनुज्ञप्ति क्रमांक	.....

ऑनलाईन ई– निविदा हेतु शेड्यूल निम्नानुसार है :–

Bid start date	**05-03-2018**	**11.00 AM**
Bid Due date	**04-04-2018**	**2.00 PM**
Bid open date from	**04-04-2018**	**3.00 PM**

टेक्निकल बीड के परीक्षण उपरांत फाईनेशियल बीड खेलने की कार्यवाही की जावेंगी।

टिप्पणीः–

1. निविदा खोलने के लिए निर्धारित दिनांक को यदि अवकाश घोषित किया जाता है या किसी अपरिहार्य कारणों से निविदा नही खोली जाती है तो विपणन संघ द्वारा तत्समय निर्धारित तिथि एवं समय में निविदा खोली जायेगी।
2. यह निविदा फर्म अहस्तांतरणीय है।
3. निविदा दस्तावेज दिनांक 04.04.2018 को दोपहर 2.00 बजें तक ऑनलाईन जमा किया जा सकता है। निविदा दस्तावेज जमा करने हेतु पर्याप्त समय दिया गया है। निविदकारों को यह सुझाव है कि निविदा जमा करने की ऑनलाईन निर्देश एवं प्रक्रिया का विधिवत् अध्ययन कर ले एवं अंतिम समय के इंतजार किए बिना पर्याप्त समय पूर्व, निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर ऑनलाईन निविदा जमा किया जानए चाहिए ताकि अंतिम समय में साफ्टवेयर/कनेक्टीवीटी आदि में समस्या होने पर निविदा जमा करने में कठिनाई ना हो। अंतिम समयमें साफ्टवेयर /कनेक्टीवीटी आदि में तकनीकी समस्या आने के कारण ऑनलाईन निविदा दस्तावेज जमा नहीं होने पर समय में वृद्वि करने हेतु दावा आपत्ति, अभ्यावेदन मान्य नहीं होगा और ना ही मैन्युअल निविदा स्वीकार की जावेंगी।

4. निविदा में वांछित दस्तावेज की प्रति ऑनलाईन ही प्रस्तुत की जावेंगी एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के सभी पृष्ठो पर निविदाकार के सीलयुक्त हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।

5. निविदा प्रपत्र वेवसाईट http://eproc.cgstate.gov.in पर उपलब्ध है। निविदा ऑनलाईन प्रस्तुत किया जाना है। निविदा फार्म की राशि रूपये 2000.00 (दो हजार रूपये मात्र) विपणन संघ संघ के बैक खातें में ऑनलाईन आर.टी.जी.एस/एन. ई.एफ.टी के माध्यम से एवं बैंक खाते में सीधे जमा करना अनिवार्य है तथा राशि के अंतरण पृष्टि संबंधी दस्तावेज निविदा के साथ प्रस्तुत किया जाना है, तथा उसकी पावती तकनीकी बीड में ऑनलाईन संलग्न की जावें एवं रूपये 311/– (तीन सौ ग्यारह रूपये मात्र) बीड सबमिशन फीस वेबसाईट http://eproc.cgstate.gov.in में निर्धारित लिंक में चिप्स के एकाउन्ट में ऑनलाईन के माध्यम से जमा किया जाना होगा।

6. निविदा फार्म की राशि एवं अमानत राशि विपणन संघ मुख्यालय के भारतीय स्टेट बैंक जयस्तंभ चौक, रायपुर बैक खाता कमांक 31646169962 IFSC Code SBIN 0000461 में जमा किया जाना है।

7. निविदा दस्तावेज जमा करने से पहले ही निविदाकार का ई प्रोक्युरमेंट वेबसाईट http://eproc.cgstate.gov.in में पंजीयन हो तथा डिजीटल सिग्नेचर (डीएससी) उपलब्ध हो यह सुनिश्चित हो।

8. निविदा प्रपत्र अवलोकन हेतु विपणन संघ की वेबसाईट www.markfed.cg.nic.in पर उपलब्ध है।

9. प्रमाणित किया जाता है कि इस निविदा प्रपत्र में पृष्ठ कमांक 1 से 26 है।

महाप्रबंधक (विप.)

निविदा दस्तावेज के साथ संलग्न परिशिष्टों का विवरण

निविदा में नियमानुसार परिशिष्ट है, जिनके प्रत्येक पृष्ठ पर निविदाकार द्वारा हस्ताक्षर कर अपने सील अंकित की जावेगी एवं समस्त परिशिष्ट निविदा दस्तावेज का भाग माने जावेंगे।

1. परिशिष्ट कमांक 01 – इस परिशिष्ट पर वर्गीकृत धान (मानव उपयोग हेतु नहीं) निविदा संबंधी प्रकिया एवं निविदा के नियम एवं शर्ते अंकित है।
2. परिशिष्ट कमांक 02 – निविदाकार द्वारा प्रस्तुत घोषण पत्र।
3. परिशिष्ट कमांक 03 – इस परिशिष्ट पर धान विकय संबंधी अनुबंध/सौदा पत्रक का प्रारूप है जो कि सफल निविदाकारों द्वारा रूपयें 50/–के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर निष्पादित किया जावेगा।
4. परिशिष्ट कमांक 04 – इस परिशिष्ट पर उल्लेखित प्रारूप में केता द्वारा रूपयें 50/–के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अलग से घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि विपणन संघ द्वारा जिस प्रयोजन से डेमेज धान का विकय किया जा रहा है, उसका उपयोग उसी अनुसार सुनिश्चित हो।
5. परिशिष्ट कमांक 05 – सत्यनिष्ठा संधि का प्रारूप।
6. परिशिष्ट कमांक 06 – जिलेंवार, संग्रहण केन्द्रवार मात्रा, वर्गीकरण आधार पर विकय की मात्रा उल्लेखित किया गया है। इस परिशिष्ट में निर्धारित स्थान पर दर रूपयें प्रति क्विंटल अंको एवं शब्दों में निविदाकारों द्वारा ऑनलाईन भरी जावें।

समस्त निविदाकारों से अनुरोध है कि वे उक्त परिशिष्टों का गहन अध्ययन करने के उपरांत ही अपनी दरें प्रस्तुत करें, ताकि उनके द्वारा प्रस्तुत की गई निविदा विधिवत रूप से प्रस्तुत हो सके एवं भविष्य में किसी प्रकार का विवाद न हो।

महाप्रबंधक

परिशिष्ट (एक)

निविदा दस्तावेज

वर्गीकृत धान की निविदा संबंधी प्रकिया, नियम शर्ते

1. आफसेट मूल्य–

अमानक धान के ऑफसेट प्राईज का मूल्यांकन उक्त वर्ष के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर भारत सरकार द्वारा जारी प्रावधिक लागत पत्रक के आधार पर निर्धारित किया गया है यदि ऑफसेट मूल्य में किसी प्रकार की बढोत्तरी होती है तो निविदाकार को बढे हुए दर से राशि जमा की जानी होगी।

क्रमांक	अमानक धान की श्रेणी	ऑफसेट मूल्य (रूपये प्रति क्विं)		
		2011–12	2012–13	2013–14
1	एफ–1	846	955	991
2	एफ–2	705	795	826
3	एफ–3	564	636	661
4	इंडस्ट्रीज यूज	423	477	496
5	मेन्यौर	141	159	165
6	डंपिग	141	159	165

उपरोक्तानुसार निर्धारित आफसेट प्राईज के आधार पर निविदा दरें आमंत्रित की जाती है। उक्त ऑफसेट प्राईज से कम दरों पर विचार नही किया जावेगा।

2. निविदा भरना–

इच्छुक पंजीकृत अनुज्ञप्ति धारी फर्म, पशुआहार/कुक्कुट आहार/इण्डस्ट्रीयल युज/मैन्योर श्रेणी के निर्माता फर्म हेतु निविदा विपणन संघ की वेब साईट www.markfed.cg.nic.in में उपलब्ध है। निविदा में संलग्न परिशिष्ट क्रमांक–01, 02, 04 एवं 05 में उल्लेखित तकनीकी बीड की अर्हताएं तथा परिशिष्ट 06 वित्तीय बीड निर्धारित दिनांक एवं समय के पूर्व ऑनलाईन जमा करना अनिवार्य होगा।

3. अर्नेस्ट मनी–

वर्गीकृत धान क्रय करने हेतु प्रस्तावित मात्रा के लिए निम्नानुसार न्यूनतम प्रति क्विंटल दर के आधार पर अमानत राशि R.T.G.S के माध्यम से जमा करना अनिवार्य है तथा उसकी पावती निविदा के साथ प्रस्तुत करे।

एफ–1	35.00/–प्रति क्विंटल
एफ–2	28.00/–प्रति क्विंटल
एफ–3	23.00/–प्रति क्विंटल
इंडस्ट्रीज यूज	17.00/–प्रति क्विंटल
मेन्यौर	07.00/–प्रति क्विंटल
डंपिग	07.00/–प्रति क्विंटल

निविदा फार्म की राशि एवं अमानत राशि विपणन संघ मुख्यालय के भारतीय स्टेट बैक जयस्तंभ चौंक, रायपुर बैंक खाता क्रमांक 31646169962, IFSC Code SBIN 0000461 में जमा किया जाना है।

4. निविदा में हस्ताक्षर–

निविदाकार द्वारा जमा किये गये अमानत राशि की पावती के साथ एक चार्ट लगाना अनिवार्य होगा जिसमें वर्ष, जिले का नाम, संग्रहण केन्द्र का नाम, धान की किस्म, वगीकृत धान की मात्रा के आधार पर अमानत राशि का विवरण निम्न प्रारूप में हो :–

क्रमांक	वर्ष	जिलें	संग्रहण केन्द्र	श्रेणी	मात्रा	राशि

निविदा प्रपत्र के अंतर्गत निर्धारित अर्हताओं में निविदाकार द्वारा हस्ताक्षर करने के उपरांत उसका पूरा नाम, पूरा पता एवं किस हैसियत से, जैसे कि स्वामी, भागीदार, कंपनी सचिव, प्रबंध संचालक, मुख्तयार या संचालक के रूप में हस्ताक्षर किया, उसका उल्लेख अनिवार्य है। निविदाकार की ओर से अधिकृत व्यक्ति द्वारा अगर निविदा प्रस्तुत की जाती है तो इस संबंध में पावर आफ एटार्नी के मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अगर भागीदारी फर्म/कंपनी/समिति द्वारा पावर आफ एटार्नी जारी किया जाता है तो पावर आफ एटार्नी दस्तावेज पर सभी भागीदारों के नाम सहित फर्म/कंपनी/समिति प्रमुख के हस्ताक्षरमय सील होना अनिवार्य है। उपरोक्तानुसार निविदा के तकनीकी बीड में वांछित सभी आवश्यक दस्तावेज निविदाकार के सील सहित हस्ताक्षर कर ऑनलाईन प्रस्तुत किया जावें।

5. निविदा जमा करने की विधि–

5.1 निविदाकार निविदा दस्तावेज में संलग्न परिशिष्ट–06 जिसमे किस्मवार वर्गीकरण अनुसार संग्रहण केंद्रवार धान की मात्रा क्विंटल में उल्लेखित है, के अनुसार निर्धारित कालम में अपनी दरें ऑनलाईन प्रस्तुत करेंगे।

5.2 फैक्स, कोरियर अथवा किसी प्रकार के डाक के माध्यम से अथवा खुले (बिना सीलबंद लिफाफा) में प्राप्त निविदाएं विचार नहीं होगा।

5.3 निविदाकार को निविदा के साथ प्राप्त धान को राज्य से बाहर या राज्य के अन्य स्थानों में ले जाने के लिए आवश्यक परमिट इत्यादि की व्यवस्था स्वयं करना होगा तथा इनमें विभाग/संस्था किसी प्रकार का सहयोग नहीं करेगा और न ही किसी प्रकार के कर भुगतान या अन्य भुगतान हेतु उत्तरदायी होगा।

6. धान की राशि जमा करने तथा डिलीवरी लेने संबंधी–

6.1 सफल निविदाकार की निविदा स्वीकृत होने के 07 दिवस के अंदर अनुबंध के समय धान के विक्रित संपूर्ण मात्रा के मूल्य का 10 प्रतिशत प्रतिभूति रशि जमा कर डिलीवरी प्राप्त करने हेतु अनुबंध करना अनिवार्य होगा।

6.2 अनुबंधित मात्रा को निविदाकार को अधिकतम एक माह की अवधि में उठाव करना अनिवार्य होगा। विशेष परिस्थिति में प्रबंध संचालक विपणन संघ द्वारा अनुमोदन उपरांत अवधि में वृद्वि किया जा सकता है।

6.3 अनुबंधित मात्रा के आधार पर उठाव किये जाने वाले धान की राशि को उठाव करने के पूर्व अग्रिम रूप से जिला विपणन संघ के कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।

6.4 यदि अनुबंध में दर्शित समयावधि के अंदर डिलीवरी नहीं ली जाती है तो जमा अर्नेस्ट मनी/प्रतिभूति राशि विपणन संघ के हित में राजसात की जावेगी।

6.5 जमा अर्नेस्ट मनी/प्रतिभूति राशि का पूर्ण समायोजन क्रेता को अंतिम डिलीवरी के साथ होगा।

7. निविदा स्वीकार अथवा अस्वीकार करने संबंधी अधिकार–

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ के धान स्कंध हेतु प्राप्त निविदा के संबंध में संघ के प्रबंध संचालक के पास यह अधिकार पूर्णतः सुरक्षित है कि प्राप्त किसी भी निविदा या समस्त निविदा को बिना किसी कारण बताये स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकेंगे।

KMS 2011–12, 2012–13 एवं 2013–14 के वर्गीकृत धान विक्रय निविदा हेतु परिभाषाएं

1. विपणन संघ से तात्पर्य छ.ग.राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या.से है।
2. निराकरण योग्य धान से तात्पर्य खरीफ विपणन वर्ष 2011–12, 2012–13 एवं 2013–14 के शेष (मानव उपयोग हेतु नहीं है) डेमेज धान से है।
3. निविदा दस्तावेज से तात्पर्य डेमेज धान विक्रय हेतु जारी निविदा सूचना के संदर्भ में निविदकार द्वारा कार्यालय से विधिवत क्रय किया गया दस्तावेज (मूल प्रति) के माध्यम से प्रस्तुत निविदा।
4. संविदा से तात्पर्य है कि निविदा आमंत्रित करना, निविदा प्रक्रिया तथा निविदा में उल्लेखित निर्देश, निविदा संबंधी दस्तावेज, अनुबंध एवं शेड्युल के अंतर्गत स्वीकार करना एवं निविदा से संबंधित सामान्य एवं सभी शर्ते सम्मिलित है।
5. प्रबंध संचालक का छ.ग.राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित के प्रबंध संचालक से है।
6. क्रेता शब्द से तात्पर्य यह है कि ऐसे पशु आहार निर्माता फर्म जिसने इस निविदा में भाग लिया है या निविदा प्राप्त किया है। इस तात्पर्य के अंतर्गत व्यक्ति, फर्म, कंपनी, संघ संस्था की ओर से विधिवत अधिकृत व्यक्ति भी मान्य होंगे।
7. दर शब्द से तात्पर्य यह होगा कि दर जो निविदाकार द्वारा प्रस्तुत किया गया है तथा जिसे विपणन संघ द्वारा अंतरिम या अंतिम रूप से मान्य किया गया है।
8. अनुबंध शब्द का अर्थ यह होगा निविदाकृत धान के क्रय हेतु क्रेता एवं यथा स्थिति विपणन संघ के बीच संविदा करार।
9. डेमेज फीड–1, फीड–2 एवं फीड–3 का अर्थ पशु आहार में उपयोग हेतु वर्गीकृत है तथा औद्योगिक उपयोग (Industrial Use) औद्योगिक उपयोग में एवं मेन्योर, मेन्योर में उपयोग हेतु है। डेमेज धान मानव उपयोग हेतु कदापि नहीं है।

निविदा की शर्ते एवं नियम

1. विक्रय किया जाने वाला डेमेज धान का विक्रय ''जहां है जैसा है'' के आधार पर किया जावेगा। विक्रित धान खुले फड़ से मय बारदाना प्रति क्विंटल की दर से विक्रय किया जावेगा। वाणिज्यिक कर या अन्य किसी भी प्रकार का कर निविदाकर द्वारा अतिरिक्त देय होगा।
2. निविदाकारों द्वारा प्रस्तुत निविदा दरें निविदा दिनांक से 180 दिवस तक वैध रहेगी।
3. **निविदाकार द्वारा जिलें के सभी संग्रहण केन्द्रों में संग्रहित श्रेणीवार मात्रा की दरें एक साथ एक ही भरी जावें। (उदाहरणस्वरूप जिलें के सभी केन्द्रों में फीड 1 श्रेणी का संग्रहित समस्त स्कंध की दरें एक साथ एवं एक दर ही भरी जावें, अर्थात् यदि जिलें में चार संग्रहण केन्द्र है एवं चारों केन्द्र में फीड 1 श्रेणी का धान भंडारित है तो सभी संग्रहण केन्द्रों में फीड 1 श्रेणी के धान हेतु अलग–अलग दरें मान्य नही होगी, अर्थात् पूरे जिलें के लिए एक श्रेणी के लिए एक ही रेट होगा)**
4. निविदाकार प्रस्तावित धान के किस्म एवं मात्रा के संबंध में विस्तृत जानकारी विपणन संघ के मुख्यालय एवं संबंधित जिला कार्यालय से प्राप्त कर सकते है।
5. निविदाकर्ता का यह दायित्व होगा कि वे निविदा भरने से पहले निविदाकर्ता स्टाक का भली–भांति अवलोकन/परीक्षण कर लें तथा दरें भरने से पूर्व इसकी मात्रा एवं क्वालिटी के बारें में अपनी संतुष्टि कर लेवें। निविदा भरने या खुलने उपरांत इसमें किसी प्रकार का स्पष्टीकरण, मार्गदर्शन, विवाद मान्य नहीं होगा।
6. निविदा दस्तावेज में उल्लेखित मात्राएं कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर है, इसकी मात्राओं में घट बढ़ हो सकती है।
7. धान का विक्रय शासन द्वारा समय–समय पर निर्धारित निर्देशों के अनुसार किया जायेगा। शासन की नीति अथवा आदेश होने पर निविदा स्वीकृति के बाद भी स्कंध विक्रय रोका जा सकता है। इसके अगर क्रेता को किसी प्रकार की हानि होती है तो इसकी जवाबदारी विपणन संघ की नहीं होगी।
8. प्राप्त निविदाओं को स्वीकार या अस्वीकार करने का अंतिम अधिकार विपणन संघ के प्रबंध संचालक के पास पूर्णतः सुरक्षित रहेगा तथा इस संबंध में किसी प्रकार का विवाद मान्य नहीं होगा। निविदाकार/क्रेता की यह जिम्मेदारी होगी कि निविदा में प्राप्त सामग्री को रखने और आगे भी क्रय/विक्रय/परिवहन करने या अन्य किसी भी प्रक्रिया में लाने के लिए अपने पास समस्त लाईसेंस, परमिट, अन्य वैधानिक दस्तावेज की व्यवस्था स्वयं करेंगे। इसमें संघ द्वारा किसी प्रकार का सहयोग नहीं किया जावेगा। दस्तावेज के अभाव में या गलत जानकारी प्रस्तुत करने से कोई विवाद उत्पन्न होता है तो इसकी संपूर्ण जवाबदारी क्रेता की रहेगी।
9. अर्नेस्ट मनी निविदा के साथ छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित के नाम से रायपुर में देय अधिसूचित बैंक से प्राप्त ड्राफ्ट संलग्न करना अनिवार्य होगा। ड्राफ्ट संलग्न नहीं होने पर निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
10. निविदाकार की निविदाएं स्वीकृत होने पर सफल निविदाकार (H1) की अर्नेस्ट मनी, अनुबंध में दर्शित मात्रा की अंतिम डिलीवरी तक विपणन संघ के पास सुरक्षित रहेगी। अगर निविदाकर्ता द्वारा निर्धारित अवधि में स्टॉक नहीं उठाया जाता है तो यह राशि राजसात योग्य होगी। H-2 एवं H-3 को छोडकर ऐसे निविदाकार जिनकी निविदायें स्वीकृत नहीं हुई उनकी अर्नेस्ट मनी 45 दिवस के अंदर वापस की जावेगी। अर्नेस्ट मनी की वापसी नगद में नहीं होगी और अर्नेस्ट मनी पर जमा अवधि के दौरान कोई ब्याज देय नहीं होगा।

11. निविदाकार की दर स्वीकृत होने पर निविदाकार स्वीकृत मात्रा के कुल मूल्य की 10 प्रतिशत प्रतिभूति राशि संबंधित संस्था के पास 07 दिवस के अंदर जमा करेगा। क्रेता को विपणन संघ के साथ निर्धारित अनुबंध प्रारूप में 50/–रूपयें के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित करना अनिवार्य होगा। अनुबंध शर्ते, निविदा की शर्तो का एक अंग होगा। जमा अर्नेस्ट मनी एवं सिक्यूरिटी की राशि क्रेता के संपूर्ण स्कंध उठाने पर अंतिम डिलीवरी के समय समायोजन किया जावेगा। क्रेता के द्वारा निविदा शर्तो का किसी भी समय उल्लंघन करने पर या उसे स्टॉक की संपूर्ण डिलीवरी न लेने पर जमा अर्नेस्ट मनी एवं सिक्यूरिटी की राशि विपणन संघ द्वारा राजसात की जा सकती है, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी निविदाकार की होगी।
12. सफल निविदाकार H-1 द्वारा विक्रय किये गये संपूर्ण धान का निर्धारित समयावधि में उठाव नहीं करने की दशा में H-2 एवं H-3 निविदा निविदाकारों को H-1 निविदाकारो की दर पर अमानक धान का विक्रय किया जा सकता है, जिसमें किसी भी निविदाकार की कोई आपत्ति मान्य नही होगी।
13. जमा अर्नेस्ट मनी एवं सिक्युरिटी राशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
14. निविदा भरते समय निविदाकार अपने तरफ से किसी प्रकार की शर्त/टीप प्रस्तुत निविदा में उल्लेख नहीं करेगा। यदि निविदाकार के द्वारा ऐसा किया जाता है तो प्रस्तुत निविदा अवैध मानी जावेगी।
15. डेमेज धान का विक्रय अनुज्ञप्तिधारी पशुआहार/कुक्कुट आहार/इण्डस्ट्रीयल यूज/मैन्योर श्रेणी के निर्माता को ही किया जावेगा।
16. निविदाकार को निविदा के साथ पशुआहार/कुक्कुट आहार/इण्डस्ट्रीयल यूज/मैन्योर श्रेणी के निर्माता होने का उद्योग विभाग के निर्माता होने का उद्योग विभाग द्वारा जारी जीवित प्रमाण पत्र (उत्पादन पत्र) अथवा भारतीय खाद्य निगम में पंजीकृत होने का जीवित प्रमाण पत्र (उत्पादन प्रमाण पत्र) एवं जिला पशु चिकित्सा केन्द्र द्वारा फीड उत्पादन यथा एनीमल फीड, कैटल फीड, पोल्ट्री फीड का उत्पादन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

क	श्रेणी	अर्हताएं
1	फीड –1 (एनीमल फीड)	1. उद्योग विभाग द्वारा फीड–1 उत्पादन करने संबंधी जीवित उत्पादन प्रमाण पत्र या भारतीय खाद्य निगम में फीड–1 श्रेणी के निर्माता होने का जीवित प्रमाण पत्र 2. जिला पशु चिकित्सा केन्द्र द्वारा एनीमल फीड का उत्पादन प्रमाण पत्र
2	फीड–2, (कैटल फीड)	1. उद्योग विभाग द्वारा फीड–2 उत्पादन करने संबंधी जीवित उत्पादन प्रमाण पत्र या भारतीय खाद्य निगम में फीड–1 श्रेणी के निर्माता होने का जीवित प्रमाण पत्र 2. जिला पशु चिकित्सा केन्द्र द्वारा कैटल फीड का उत्पादन प्रमाण पत्र
3	फीड–3 (पोल्ट्री फीड)	1. उद्योग विभाग द्वारा फीड–3 उत्पादन करने संबंधी जीवित उत्पादन प्रमाण पत्र या भारतीय खाद्य निगम में फीड–3 श्रेणी के निर्माता होने का जीवित प्रमाण पत्र 2. जिला पशु चिकित्सा केन्द्र द्वारा पोल्ट्री फीड का उत्पादन प्रमाण पत्र
4	इण्डस्ट्रीयल श्रेणी	1.इण्स्ट्रीयल श्रेणी हेतु स्टॉर्च श्रेणी के उत्पादक/मैन्योर श्रेणी के उत्पादक का पंजीयन भारतीय खाद्य निगम में होना आवश्यक है अथवा इण्डस्ट्रीयल/मैन्योर श्रेणी हेतु स्टॉर्च श्रेणी का उत्पादक होने का उद्योग विभाग का जीवित प्रमाण पत्र।
5	मैन्योर	मैन्योर श्रेणी हेतु प्रत्यक्ष उत्पादक एवं उपभोक्ता एवं इस तरह के उत्पाद को निर्माण करने वाले एवं रूपांतरित करने वाले का उद्योग विभाग का जीवित प्रमाण पत्र अथवा भारतीय खाद्य निगम का इस संबंध में किये गये पंजीयन प्रमाण पत्र।

17. बिना उत्पादन प्रमाण पत्र के निविदाकार की निविदा स्वीकार नहीं की जावेंगी।
18. निविदा प्रपत्र वेबसाईट से डाले गये है, इच्छुक निविदाकर्ता, निविदा प्रपत्र को वेबसाईट से डाउनलोड कर सकते है।

19. निविदाकर्ता द्वारा दर प्रति क्विंटल शब्दो एवं अंकों में भरे जावेंगें। यदि उक्त दोनों दरों में अंतर है तो अधिक दर वाले को ही मान्य किया जावेगा।

20. छ.ग. शासन, वित्त एवं योजना विभाग, के पत्र क्रमांक/243/वि/नि/ चार/2013 नया रायपुर, दिनांक 06.07.2013 द्वारा आदेषानुसार छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या., मुख्यालय, रायपुर एवं निविदाकार के मध्य ''सत्यनिष्ठा संधि'' **(Integrity Pact)** जो कि इस निविदा दस्तावेज का अभिन्न अंग है, को निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। ''सत्यनिष्ठा संधि'' **(Integrity Pact)** संलग्न नहीं की स्थिति में निविदा अस्वीकार **की** जावेगी। ''सत्यनिष्ठा संधि'' **(Integrity Pact)** का प्रारूप इस निविदा दस्तावेज के साथ संलग्न है। (परिषिष्ट 6)। उक्त दस्तावेज निविदाकार अपने लेटरहैड में प्रत्येक पृष्ठ पर सील सहित हस्ताक्षर कर निविदा के साथ संलग्न करें। निविदाकार यदि कंपनी/फर्म है, तो उक्त दस्तावेज अधिकृत प्रतिनिधि/संचालक/भागीदार द्वारा हस्ताक्षर एवं सील सहित संलग्न करें। यह सत्यनिष्ठा संधि **(Integrity Pact)** छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या., मुख्यालय, रायपुर द्वारा हस्ताक्षरित माना जायेगा।

भुगतान एवं डिलीवरी प्रक्रिया

1. क्रेता को धान की कीमत स्वीकृति दर से ग्रास वजन बारदाना सहित के आधार पर भुगतान करना होगा। स्वीकृत दर के अलावा किसी प्रकार का अन्य कर भार, टैक्स अतिरिक्त उपयोग किये गये बारदानों की कीमत इत्यादि यदि देय हो तो क्रेता को अलग से भुगतान करना होगा, जिसके लिए विपणन संघ जिम्मेदार नहीं होगा।
2. शासन द्वारा शासित की गई वाणिज्यिक कर या अन्य कर/लेव्ही की राशि क्रेता के साथ अनुबंध करते समय क्रेता को पृथक से जमा कराना अनिवार्य होगा।
3. क्रेता को स्टॉक जहॉ है, जैसा है की स्थिति के आधार पर उठाना होगा।
4. क्रेता को स्टॉक के उठाव, डिलीवरी आर्डर में दिये गये समय के अंदर करना होगा। स्टॉक की डिलीवरी एक सिरे से दी जावेगी। क्रेता को स्वयं के हमाली खर्चे से स्टॉक को उठाया जाकर स्वयं के परिवहन खर्च से लेकर जाना होगा। इसमें विपणन संघ कोई खर्च वहन नहीं करेगा। अनुबंध में दर्शित मात्रा की शत्–प्रतिशत् डिलीवरी लेने तक हमाल, ट्रक/बैलगाड़ी आदि की सम्पूर्ण व्यवस्था करने की जवाबदारी क्रेता की होगी।
5. स्टॉक की डिलीवरी लेने हेतु क्रेता अगर स्वयं नहीं आता है तो उसके अधिकृत प्रतिनिधि को स्टांप पेपर पर नोटरी से प्रमाणित कराकर अधिकृत करना होगा तथा ऐसे अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उठाये गये स्टॉक को क्रेता के द्वारा उठाया जाना माना जाएगा। क्रेता को स्टेंडर्ड बेग की अवस्था में 10 प्रतिशत् तौलकर डिलीवरी दी जाएगी तथा ऐसे प्राप्त स्कंध को 10 प्रतिशत् के आधार पर शत्–प्रतिशत् वजन माना जाएगा। यदि स्टेंडर्ड बेग के बोरे न हो तो शत्–प्रतिशत् बोरे तौलकर डिलीवरी दी जाएगी, परंतु तौल का खर्च क्रेता द्वारा वहन किया जावेगा। जहां पर तौल की जो भी सुविधा उपलब्ध होगी यथा बीम स्केल (हाथकॉटा) या धर्मकॉटा द्वारा धान तौलकर डिलीवरी दी जा सकेगी।
6. क्रेता द्वारा निर्धारित समयावधि में स्कंध न उठाने पर विपणन संघ को यह अधिकार होगा कि क्रेता की जमा अर्नेस्ट मनी एवं प्रतिभूति राशि विपणन संघ के हित में राजसात किया जाकर नहीं उठाये गये शेष स्कंध को पुनः अन्य किसी क्रेता को विक्रय करें।
7. स्कंध की डिलीवरी केवल कार्यशील दिवसों में एवं कार्यालयीन समय में दी जाएगी, इस हेतु किसी अतिरिक्त समय का क्लेम नहीं होगा।
8. निविदा दस्तावेज/विक्रय अनुबंध एवं स्कंध उठाने तक किसी प्रकार के उत्पन्न हुए विवाद का न्यायाधिकरण क्षेत्र रायपुर न्यायालय के अंतर्गत होगा।

निविदाकार के हस्ताक्षर एवं सील

परिशिष्ट (दो)

प्रति,

प्रबंध संचालक,
छ.ग.राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या.,
रायपुर ।

महोदय,

हम निविदा दस्तावेज में उल्लेखित **KMS 2011-12, 2012-13, 2013-14** के वर्गीकृत धान को क्रय करने हेतु निविदा दर प्रति क्विंटल आधार पर परिशिष्ट के साथ में संलग्न विवरण पर प्रस्तुत कर रहे हैं, जो कि परिशिष्ट 05 में जिलेवार/केन्द्रवार/गोदामवार वर्गीकृत किस्म की मात्रा का समक्ष दिये गये कॉलम में अंको एवं शब्दों में भरी गई है।

हमने निविदा भरने से पूर्व संग्रहीत समस्त दस्तावेज/शर्तें नियमों का भली–भॉति अवलोकन कर लिया है तथा समझ लिया है एवं प्रत्येक पृष्ठ पर सील सहित हस्ताक्षर किया है।

हमने निविदा हेतु निर्धारित अमानत राषि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/पे आर्डर..... .....अधिसूचित बैंक द्वारा जारी किया गया है, रूपये.....डी.डी.नं..... ....दिनांक.....निविदा दस्तावेज के साथ संलग्न किया गया है।

हमारा विवरण निम्नानुसार है :–

1. फर्म/समिति/कंपनी का नाम.....
2. स्वामी/भागीदारों का नाम.....
3. फर्म/कंपनी के संचालक/समिति सदस्यों/ संचालक, ट्रस्टी के नाम एवं फोन नम्बर .....
   .....
   .....

घोषणा

मै/हम यह घोषणा करता हूँ/करते हैं, कि इस निविदा प्रपत्र में हमारे द्वारा दी गई जानकारियां पूर्ण रूप से सही है तथा किसी भी तथ्यों को हमने नहीं छुपाया है। निविदा खुलने के उपरांत दस्तावेजों में अगर कोई त्रुटियां पाई जाती है तो विपणन संघ द्वारा हमारे विरूद्ध जो भी कार्यवाही की जावेगी वह मान्य होगी।

1. मै/हम यह घोषणा करता हूँ/करते है कि निविदा में उल्लेखित सभी शर्तें हमें मान्य है।
2. निविदा में मै/हम उपस्थित नहीं होने के कारण हमारी ओर से अधिकृत प्रतिनिधि श्री .....अथवा श्री .....को पावर ऑफ एटार्नी सहित निविदा भरने हेतु अधिकृत करते है। इस हेतु पावर ऑफ एटार्नी/अधिकार पत्र संलग्न है।

संलग्न :– प्रस्तुत की जा रही दरों संबंधी पत्रक।

अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

निविदाकार के हस्ताक्षर
(मय सील सहित)

परिशिष्ट (तीन)

(पचास रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर निष्पादित किया जायेगा)

:: अनुबंध ::

कार्यालय का सील

स्थान.....दिनांक.....

आज दिनांक.....को जिला विपणन अधिकारी, जिला..... छ.ग.राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित (विक्रेता) और मेसर्स.....(क्रेता) के बीच **KMS 2011-12, 2012-13, 2013-14** के वर्गीकृत धान बेचने का विक्रय हुआ, जिसका विवरण और शर्तें निम्नानुसार है :–

1. क्रेता का नाम और पूरा पता .....
   .....
2. फोन नम्बर .....
3. पंजीकृत अनुज्ञप्ति धारी फर्म, पशुआहार/कुक्कुट आहार/इण्डस्ट्रीयल यूज/मैन्योर श्रेणी के निर्माता फर्म का अनुज्ञप्ति क्रमांक .....
4. क्रय किये गये स्कंध की मात्रा .....
   ....
5. जिस संग्रहण केन्द्र से डिलीवरी दी जानी है, उसका विवरण–.....
6. क्रय किये गये धान की मात्रा (क्विंटल में).....
   (केन्द्र पर स्कंध की मात्रा कम या अधिक हो सकती है, क्रेता को सम्पूर्ण स्कंध की डिलीवरी लेना अनिवार्य है)
7. विक्रय दरें प्रति (क्विंटल में) मय बारदाने एक्स गोदाम, ग्रास वेट, जहॉ है, जैसा है, के आधार पर– .....
8. कुल अनुमानित मूल्य .....
9. क्रेता के द्वारा जमा राशि का विवरण.....
10. अमानत राशि (निविदा दस्तावेज के साथ संलग्न है) .....
    सिक्यूरिटी की राशि दस प्रतिशत .....
    योग :– .....
11. शेष अनुमानित राशि (वसूली योग्य) .....
12. स्कंध की पूर्ण डिलीवरी लेने की अंतिम दिनांक.....है।
13. स्कंध जहॉ है, जैसा है के आधार पर विक्रय किया गया है, अतः क्वालिटी के बारे में कोई भी विवाद ग्राह्य नहीं किया जायेगा।

14. भुगतान तौलाई आदि की शर्ते :–

(अ) अनुबंध के कॉलम नम्बर 06 में दर्शायी गई मात्रा की इस सौदे पत्रक में दर्शित अंतिम दिनांक ..... तक विक्रेता को पूरी मात्रा में डिलीवरी लेना होगा।

(ब) डिलीवरी की अंतिम तिथि के अंदर स्कंध की डिलीवरी न लेने पर सौदा निरस्त किया जावेगा तथा अर्नेस्ट मनी मय सिक्यूरटी राशि के विपणन संघ के हित में राजसात की जा सकेगी।

(स) क्रेता को पूरी मात्रा की धन राशि बैंक ड्राफ्ट द्वारा विपणन संघ कार्यालय में अधिकतम तीन किस्तों में जमा कने की सुविधा दी जायेगी।

(द) चेक अथवा नगद भुगतान स्वीकार नहीं किया जावेगा। समस्त भुगतान बैंक ड्राफ्ट द्वारा स्वीकार किये जायेंगे।

(ई) सिक्यूरटी की धन राशि सौदे के अनुसार कुल मात्रा के मूल्य की दस प्रतिशत (सिक्यूरटी के रूप में) जमा की जायेगी। सिक्यूरटी राशि एवं अर्नेस्ट मनी का समायोजन अंतिम डिलीवरी के समय विवाद न होने की स्थिति पर किया जायेगा।

(फ) सौदा पत्रक के आधार पर कण्डिका 12 में दर्शायी गई अंतिम तिथि तक धन राशि जमा कर संबंधित वस्तु, अनुबंधित मात्रा में पूरी–पूरी उठानी होगी, अन्यथा सौदा निरस्त कर दिया जावेगा तथा जमा, जमानत की धन राशि एवं अर्नेस्ट मनी राजसात कर ली जायेगी।

(च) स्कंध की डिलीवरी कॉलम नम्बर 05 में दर्शाये गोदाम एवं स्थान से ही शत–प्रतिशत् तौल करके बारदाने सहित दी जावेगी। वाहन में स्कंध लोड करा दिया जावेगा अर्थात स्कंध की शत्–प्रतिशत् तौल एवं लोडिंग का व्यय विपणन संघ वहन नहीं करेगा। स्टेक से माल एक सिरे से दिया जायेगा, छांट कर नहीं।

(छ) सिक्यूरटी की डिपाजिट धन राशि एवं अर्नेस्ट मनी पर कोई ब्याज विपणन संघ द्वारा देय नहीं होगा।

(ज) यदि अनुबंधकर्ता और विपणन संघ के बीच इस सौदा पत्रक की किसी शर्त के बारे में अथवा इससे संबंधित किसी अन्य विषय पर कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो आर्बीटेशन एक्ट के अंतर्गत प्रमुख सचिव/सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग रायपुर आर्बीटेटर होंगे तथा उनके द्वारा दिया गया निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।

(झ) यदि अनुबंधकर्ता/फर्म सौदा पत्रक में दी गई शर्तों के विरूद्ध कार्य करती है या समयावधि में डिलीवरी प्राप्त नहीं करती है तो अनुबंध टूट जाने के परिणामस्वरूप विपणन संघ को क्रेता से हर्जाना एवं खर्चा वसूल करने का अधिकार होगा। यह राशि अमानत एवं प्रतिभूति राशि के अतिरिक्त होगा।

(ट) अनुबंधित मात्रा बोरों की भरती के कारण कम या अधिक हो सकती है। क्रेता को पूरे स्कंध की डिलीवरी लेना अनिवार्य होगा।

(ठ) डेमेज धान का स्कंध ''जहॉ है जैसा है'' के आधार पर किया जायेगा। अतः कटे–फटे अनुपयोगी बोरी के बदले में विपणन संघ कोई बोरा नहीं दिया जायेगा। ऐसी स्थिति में क्रेता को स्वयं के बोरे उपयोग में लाने होंगे, जिसका किसी भी तरह का भुगतान विपणन संघ द्वारा नहीं किया जायेगा।

(ड) डिलीवरी की अंतिम तिथि के बाद उठाव की अवधि बढ़ाने या न बढ़ाने का अधिकार प्रबंध संचालक के पास सुरक्षित है, किन्तु यदि डिलीवरी हेतु अवधि बढ़ाई गई तो बढाई गई अवधि के लिये ब्याज प्रचलित दर से एवं विपणन संघ द्वारा निर्धारित भंडारण शुल्क का भुगतान क्रेता द्वारा करने पर ही डिलीवरी दी जायेगी।

(त) विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र रायपुर तक ही सीमित रहेगा।

क्रेता के हस्ताक्षर
नाम एवं पता सील सहित

जिला विपणन अधिकारी
छ.ग.राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या.

1. गवाह..... 1.....
2. गवाह..... 2.....

प्रतिलिपिः–

1. क्रेता मेसर्स.....
2. जिला विपणन अधिकारी, छ.ग.राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या..... आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

जिला विपणन अधिकारी

परिशिष्ट (चार)

(पचास रूपये के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर निष्पादित किया जायेगा)

शपथ पत्र

मैं/हम.....यह निष्ठापूर्वक कथन करता हूँ/करते है कि छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित रायपुर द्वारा पशु आहार उत्पादन हेतु डेमेज धान का विक्रय जिस प्रयोजन अथवा पशु आहार उत्पादन हेतु किया जा रहा है, उसका उपयोग हमारे द्वारा उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा। यदि हमारे द्वारा इस क्रय किये गये धान का अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग किया जाता है तो राज्य शासन एवं विपणन संघ हमारे विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होगा। डेमेज धान के उल्लेखित उपयोग के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन में उपयोग किये जाने से किसी प्रकार की कोई क्षति होती है तो उसके लिये मैं/हम जिम्मेदार/जवाबदार होंगे।

स्थान..... **निविदाकार के हस्ताक्षर एवं सील**

1.....

2.....

फोन नं. (कार्यालय).....

घर.....मोबाइल नं.....

.....

PRE-CONTRACT INTEGRITY PACT

1. GENERAL

1.1. This pre-bid contract Agreement (herein after called the Integrity Pact) is made on day of the month 20 , between, the **Chhattisgarh State Co-operative Marketing Federation Ltd.** acting through Shri _____(Designation of the officer, Department) (hereinafter called the "**BUYER/PRINCIPAL**", which expression shall mean and include, unless the context otherwise requires, his successors in the office and assigns) and the First Party, proposes to procure (Name of the Stores/Equipment/Work/Service/Materials) and M/s._____ represented by Shri _____ Chief Executive Officer/Authorised Signatory (hereinafter called the **"BIDDER/SELLER/CONTRACTOR"**, which expression shall mean and include, unless the context otherwise requires, his successors and permitted assigns) and the Second Party, is willing to offer/ has offered.

1.2. WHEREAS the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR is a Private Company/Public Company/ Government Undertaking/ Partnership/Registered Export Agency, constituted in accordance with the relevant law in the matter and the BUYER/PRINCIPAL is a Registered Co-operative Society under the provisions of Chhattisgarh Co-operative Societies Act, 1960 performing its function on behalf of the Government of Chhattisgarh.

2. OBJECTIVES

NOW, THEREFORE, the BUYER/PRINCIPAL and the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR agree to enter into this pre-contract agreement, hereinafter referred to as Integrity Pact, to avoid all forms of corruption by following a system that is fair, transparent and free from any influence/prejudiced dealings prior to, during and subsequent to the Contract to be entered into with a view to:-

2.1. Enabling the BUYER/PRINCIPAL to obtain the desired Stores/Equipment/Work/Service/Materials at a competitive price in conformity with the defined specifications by avoiding the high cost and the distortionary impact of corruption on public procurement, and.

2.2. Enabling BIDDER/SELLER/CONTRACTOR to abstain from bribing or indulging in any corrupt practices in order to secure the contract by providing assurance to them that their competitors will also abstain from bribing any corrupt practices and the BUYER/PRINCIPAL will

commit to prevent corruption, in any form, by its official by following transparent procedures.

3. COMMITMENTS OF THE BUYER/PRINCIPAL

The BUYER/PRINCIPAL commits itself to the following:-

3.1. The BUYER/PRINCIPAL undertakes that no official of the BUYER/PRINCIPAL, connected directly or indirectly with the contract, will demand, take promise for or accept, directly or through intermediaries, any bribe, consideration, gift, reward, favour or any material or immaterial benefit or any other advantage from the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR, either for themselves or for any person, organization or third party related to the contract in exchange for an advantage in the bidding process, bid evaluation, contracting or implementation process related to the contract.

3.2. The BUYER/PRINCIPAL will, during the pre-contract stage, treat all BIDDER/SELLER/CONTRACTORs alike, and will provide to all BIDDER/SELLER/CONTRACTORs the same information and will not provide any such information to any particular BIDDER/SELLER/CONTRACTOR which could afford an advantage to that particular BIDDER/SELLER/CONTRACTOR in comparison to the other BIDDER/SELLER/CONTRACTORs.

3.3. All the officials of the BUYER/PRINCIPAL will report the appropriate Government office any attempted or completed breaches of the above commitments as well as any substantial suspicion of such a breach.

In case any such preceding misconduct on the part of such official(s) is reported by the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR to the BUYER/PRINCIPAL with the full and verifiable facts and the same is *prima facie* found to be correct by the BUYER/PRINCIPAL, necessary disciplinary proceedings, or any other action as deemed fit, including criminal proceedings may be initiated by the BUYER/PRINCIPAL and such a person shall he debarred from further dealings related to the contract process. In such a case, while an enquiry is being conducted by the BUYER/PRINCIPAL, the proceedings under the contract would not be stalled.

4. COMMITMENTS OF BIDDER/SELLER/CONTRACTORS

The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR commits itself to take all measures necessary to prevent corrupt practices, unfair means and illegal activities during any stage of its bid or during any pre-contract or post-contract stage in order to secure the contract or in furtherance to secure it and in particular commit itself to the following:-

4.1. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR will not offer, directly or through intermediaries, any bribe, gift, consideration, reward, favour, any material or immaterial benefit or other advantage, commission, fees,

brokerage or inducement to any official of the BUYER/PRINCIPAL, connected directly or indirectly with the biding process, or to any person, organization or third party related to the contract in exchange for any advantage in the bidding, evaluation, contracting and implementation of the contract.

4.2. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR further undertakes that it has not given, offered or promised to give, directly or indirectly any bribe, gift, consideration, reward, favour, any material or immaterial benefit or other advantage, commission, fees, brokerage, or inducement to any official of the BUYER/PRINCIPAL or otherwise in procuring the Contract of forbearing to do or having done any act in relation to the obtaining or execution of the contract or any other contract with the Government for showing or forbearing to show favour or disfavour to any person in relation to the contract or any other contract with the Government.

4.3. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR further confirms and declares to the BUYER/PRINCIPAL that the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR is the original Manufacture/Integrator/Authorized government sponsored export entity of the stores and has not engaged any individual or firm or company whether Indian or foreign to intercede, facilitate or in any way to recommend to the BUYER/PRINCIPAL or any of its functionaries, whether officially or unofficially to the award of the contract to the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR, nor has any amount been paid, promised or intended to be paid to any such individual, firm or company in respect of any such intercession, facilitation or recommendation.

4.4. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR, either while presenting the bid or during pre-contract negotiations or before signing the contract, shall disclose any payment he has made, is committed to or intends to make to officials of the BUYER/PRINCIPAL or their family members, agents, brokers or any other intermediaries in connection with the contract and the details of services agreed upon for such payments.

4.5. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR will not collude with other parties interested in the contract to impair the transparency, fairness and progress of the bidding process, bid evaluation, contracting and implementation of the contract.

4.6. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR will not accept any advantage in exchange for any corrupt practice, unfair means and illegal activities.

4.7. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR shall not use improperly, for purpose of competition or personal gain, or pass on to others, any information provided by the BUYER/PRINCIPAL as part of the business relationship, regarding plans, technical proposal and business details, including information contained in any electronic data carrier. The

BIDDER/SELLER/CONTRACTOR also undertakes to exercise due and adequate care lest any such information is divulged.

4.8. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR commits to refrain from giving any complaint directly or through any other manner without supporting it with full and verifiable facts.

4.9. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR shall not instigate or cause to instigate any third person to commit any of the acts mentioned above.

5. PREVIOUS TRANSGRESSION

5.1 The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR declares that no previous transgression occurred in the last three years immediately before signing of this Integrity Pact with any other company in any country in respect of any corrupt practices envisaged hereunder or with any Public Sector Enterprise in India or any Government Department in India that could justify B1DDER's exclusion from the tender process.

5.2. If the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR makes incorrect statement on this subject, BIDDER/SELLER/CONTRACTOR can be disqualified from the tender process or the contract, if already awarded, can be terminated for such reason.

6. EARNEST MONEY (SECURITY DEPOSIT)

6.1. Every BIDDER/SELLER/CONTRACTOR while submitting commercial bid, shall deposit an amount as specified in RFP/Tender Documents as Earnest Money/Security, Deposit, with the BUYER/PRINCIPAL through any of the following instruments:

(i) Bank Draft or a Pay Order in favour of..

(ii) A confirmed guarantee by an Indian Nationalised Bank, promising payment of the guaranteed sum to the (BUYER/PRINCIPAL) on demand within three working days without any demur whatsoever and without seeking any reasons whatsoever. The demand for payment by the BUYER/PRINCIPAL shall be treated as conclusive proof of payment.

(iii) Any other mode or through any other instrument (to be specified in the RFP/Tender Documents).

6.2. The Earnest Money/Security Deposit shall be valid upto a period of five years or the complete conclusion of the contractual obligations to the complete satisfaction of both the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR and BUYER/PRINCIPAL, including warranty period, whichever is later.

6.3. In the case of successful BIDDER/SELLER/CONTRACTOR, a clause

would also be incorporated in the Article pertaining to Performance Bond in the Purchase Contract that the provisions of Sanctions for violation shall be applicable for forfeiture of Performance Bond in case of a decision by the BUYER/PRINCIPAL to forfeit the same without assigning any reason for imposing sanction for violation of this Pact.

6.4. No interest shall be payable by the BUYER/PRINCIPAL to the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR on Earnest Money/Security Deposit for the period of its currency.

7. SANCTIONS FOR VIOLATIONS

7.1. Any breach of the aforesaid provisions by the BIDDER/SELLER /CONTRACTOR or any one employed by it or acting on its behalf (whether with or without the knowledge of the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR) shall entitle the BUYER/PRINCIPAL to take all or *any* one of the following actions, wherever required:-

(i) To immediately call off the pre contract negotiations without assigning any reason or giving any compensation to the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR. However, the proceedings with the other BIDDER/SELLER/CONTRACTOR(s) would continue.

(ii) To forfeit fully or partially the Earnest Money Deposit (in pre-contract stage) and/or Security Deposit/Performance Bond (after the contract is signed), as decided by the BUYER/PRINCIPAL and the BUYER/PRINCIPAL shall not be required to assign any reason therefore.

(iii) To immediately cancel the contract, if already signed, without giving any compensation to the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR.

(iv) To recover all sums already paid by the BUYER/PRINCIPAL, and in case of the Indian BIDDER/SELLER/CONTRACTOR with interest thereon at 2% higher than the prevailing Prime Lending Rate of_____ (Name of the Bank/Financial Institution)
while in case of a BIDDER/SELLER/CONTRACTOR from a country other than India with Interest thereon at 2% higher than the LIBOR. If any outstanding payment is due to the BIDDER/SELLER /CONTRACTOR from the BUYER/PRINCIPAL in connection with any other contract such outstanding payment could also be utilized to recover the aforesaid sum and interest

(v) To encash the advance bank guarantee and performance bond/warranty bond, if furnished *by* the BIDDER/SELLER

/CONTRACTOR, in order to recover the payments, already made by the BUYER/PRINCIPAL, along with interest.

(vi) To cancel all or any other contracts with the BIDDER /SELLER /CONTRACTOR and the BIDDER/SELLER /CONT RACTOR shall be liable to pay compensation for any loss or damage to the BUYER/PRINCIPAL resulting from such cancellation/rescission and the BUYER/PRINCIPAL shall be entitled to deduct the amount so payable from the money(s) due to the BIDDER/SELLER /CONTRACTOR.

(vii) To debar the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR from participating in future bidding processes of the BUYER/PRINCIPAL for a minimum period of five years, which may be further extended at the discretion of the BUYER/PRINCIPAL.

(viii) To recover all sums paid in violation of this Pact by BIDDER/SELLER/CONTRACTOR(s) to *any* middlemen or agent or broken with a view to securing the contract.

(ix) In cases where irrevocable Letters of Credit have been received in respect of any contract signed by the BUYER/PRINCIPAL with the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR, the same shall not be opened.

(x) If the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR or any employee of the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR or any person acting on behalf of the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR, either directly or indirectly, is closely related to any of the officers of the BUYER/PRINCIPAL, or alternatively, if any close relative of an officer of the BUYER/PRINCIPAL has financial interest/stake in the BIDDER /SELLER/CONTRACTOR's firm, the same shall be disclosed by the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR at the time of tilling of tender. Any failure to disclose the interest involved shall entitle the BUYER/PRINCIPAL to rescind the contract without payment of *any* compensation to the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR.

The term 'close relative' for this purpose would mean spouse whether residing with the Government servant or not, but not include a spouse separated from the Government servant by a decree or order of a competent court; son or daughter or step son or step daughter and wholly dependent upon Government servant, but does not include a child or step child who is no longer in any way dependent upon the Government servant or of whose custody the Government servant has been deprived of by or under any law; any other person related, whether by blood or

marriage, to the Government servant or to the Government servant's wife or husband and wholly dependent upon Government servant

(xi) The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR shall not lend to or borrow any money from or enter into any monetary dealings or transactions, directly or indirectly, with any employee of the BUYER/PRINCIPAL, and if he does so, the BUYER/PRINCIPAL shall be entitled forthwith to rescind the contract and all other contracts with the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR. The BIDDER/SELLER/ CONTRACTOR shall be liable to pay compensation for any loss or damage to the BUYER/PRINCIPAL resulting from such rescission and the BUYER/PRINCIPAL shall be entitled to deduct the amount so payable from the money(s) due to the BIDDER/SELLER /CONTRACTOR.

7.2. The decision of the BUYER/PRINCIPAL to the effect that a breach of the provisions of this pact has been committed by the BIDDER/SELLER/ CONTRACTOR shall be final and conclusive on the BIDDER/SELLER /CONTRACTOR. However, the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR can approach the Monitor(s) appointed for the purposes of this Pact.

8. FALL CLAUSE

8.1. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR undertakes that if has not supplied/is not supplying similar product/systems or subsystems at a price lower than that offered in the present bid in respect of any other Department of the Government of Chhattisgarh or PSU and if it is found at any stage that similar product/systems or sub systems was supplied by the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR to any other Department of the Government of Chhattisgarh or a PSU at a lower price, then that very price, with due allowance for elapsed time, will be applicable to the present case and the difference in the cost would he refunded by the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR to the BUYER/PRINCIPAL, if the contract has already been concluded.

9. INDEPENDENT' MONITORS

9.1. The BUYER/PRINCIPAL will appoint Independent Monitors (hereinafter referred to as Monitors) for this Pact.

9.2. The task of the Monitors shall be to review independently and objectively, whether and to what extent the parties comply with the obligations under this Pact.

9.3. The Monitors shall not be subject to instructions by the representatives of the parties and perform their functions neutrally and independently.

9.4. Both the parties accept that the Monitors have the right to access all the documents relating to the project/procurement, including minutes of meetings. The Monitor shall be under contractual obligation to treat the information and documents of the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR Subcontractor(s) with confidentiality.

9.5. As soon as the Monitor notices, or has reason to believe, a violation of this Pact, he will so inform the Authority designated by *the* BUYER/PRINCIPAL.

9,6. The Monitor will submit a written report to the designated Authority of BUYER/PRINCIPAL/Secretary of the BUYER/PRINCIPAL within 8 to 10 weeks from the date of reference or intimation to him by the BUYER/PRINCIPAL/BIDDER/SELLER/CONTRACTOR and, should the occasion arise, submit proposals for correcting problematic situations.

10. FACILITATION OF INVESTIGATION

in case of any allegation of violation of any provisions of this Pact or payment of commission, the BUYER/PRINCIPAL or its agencies shall be entitled to examine all the documents including the Books of Accounts of the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR and the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR shall provide necessary information of the relevant documents and shall extend all possible help for the purpose of such examination,

11. LAW AND PLACE OF JURISDICTION

This Pact is subject to Indian Law, the place of performance and jurisdiction shall be the seat of the BUYER/PRINCIPAL i.e at **RAIPUR Chhattisgarh**.

12. OTHER LEGAL ACTIONS

The actions stipulated in this Integrity Pact are without prejudice to any other legal action that may follow in accordance with the provisions of the any other law in force relating to any civil or criminal proceedings.

13. VALIDITY

13.1. The validity of this Integrity Pact shall be from the date of its signing and extend up to 5 years or the complete execution of the contract to the satisfaction of both the BUYER/PRINCIPAL and the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR whichever is later, In case BIDDER/SELLER/CONTRACTOR is unsuccessful, this Integrity Pact shall expire after six months from the date of the signing of the contract.

13.2. If one or several provisions of this Pact turn out to be invalid; *the* remainder of this Pact shall remain valid. In such case, the parties will strive to come to an agreement to their original intentions.

14. The parties hereby sign this Integrity Pact at..... on.....

BUYER/PRINCIPAL BIDDER/SELLER/CONTRACTOR
Name of the Officer
CHIEF EXECUTIVE OFFICER/AUTHORISED SIGNATORY
Destination
Chhattisgarh State Co-operative Marketing Fed.Ltd.

Witness **Witness**

1) _____ **1)** _____

_____